

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक-एफ 21(1)()पूल/आईसीडीएस/09/ 42558

जयपुर, दिनांक

24.6

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(1)वित्त/सा.वि.ले.नि/05 दिनांक 21.05.09 (परिपत्र संख्या 9/09) के तहत दी गई शिथिलता के क्रम में वाहनों को अनुपयोगी एवं नकारा घोषित करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं।
2. सहायक लेखाधिकारी मुख्यालय।
3. जयपुर स्थित वाहनों के लिये मोटर गैराज जयपुर का प्रतिनिधि तथा अन्य स्थानों के लिये कलेक्टर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि।


उक्त परिपत्र के क्रम में नकारा व अनुपयोगी वाहन घोषित किये जाने के उपरान्त मोटर गैराज में लाना संभव नहीं/मितव्ययी नहीं हो तो इन वाहनों को वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति के माध्यम से नीलाम किया जावे। इस समिति के सदस्य सचिव, उपनिदेशक महिला बाल विकास रहेंगे। यह शिथिलता 30.09.09 तक प्रभावी रहेगी।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ 21(1)()पूल/आईसीडीएस/09/42559-709 जयपुर, दिनांक 24.6.09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जिला कलेक्टर
- 2 मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
- 3 कोषाधिकारी कोष कार्यालय
- 4 उपनिदेशक (प्रशासन) समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
- 5 उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास, को वित्त विभाग का परिपत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 6 मुख्य अधीक्षक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
- 7 अधीक्षक स्टेट मोटर गैराज, उदयपुर/जोधपुर।
- 8 आदेश पत्रावली।


अति. निदेशक (शिशु)